RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No.: 02/P.I./2020 Date :- 04-01-2020

CIRCULAR

It has been observed that despite clear directions, cases are being posted in CIS on holidays by some subordinate courts. This tendency indicates gross negligence and disobedience on the part of concerned employees as well as Presiding Officers.

For finding out the cases posted in CIS on holidays, a computer programme 'Calendar' has been provided and by following the instructions issued by the Registrar Cum CPC vide letter No. 1103 dated 14.06.2017, the dates in the cases listed on holidays may be corrected. (Copy enclosed for ready reference).

Therefore, it is enjoined upon all the Presiding Officers of Subordinate Courts to check and ensure that not even a single case of his/her court is posted in CIS on holidays.

The System Assistants/System Officers are also directed to check the CIS on daily basis and if any case of any court is found listed on holiday, the same be brought to the notice of concerned Presiding Officer as well as of respective District Judge so that no such mistake is repeated and appropriate departmental action may be taken against erring official.

Any deviation from the directions would be viewed seriously.

BY ORDER

4.1.2020
REGISTRAR GENERAL

Gen/XV/02/2020/ 86 Date : 04 .01.2020

Copy forwarded to all the District & Sessions Judges with request to circulate the same amongst all the Subordinate Courts in their Judgeships.

4.1.2020
Registrar(Admn.)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

क्रमांक 1103 दिनांक 14/6/2017

प्रेषितिः

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
समस्त राजस्थान

विषयः विशिष्ट आदेश के अलावा CIS मे अवकाश के दिन तारीख नियत नहीं करने के संबंध में।

महोदय,

निर्देशानुसार आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि बार बार जारी किये गये निर्देशों के बावजूद लोक अदालत व अन्य प्रयोजन हेतु न्यायालय के विशिष्ट आदेश के बिना भी CIS में रविवार या अन्य अवकाश के दिन प्रकरण नियत किये जा रहे हैं जिसे माननीय ई–कमैटी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है। सुलभ संदर्भ के लिए रविवार व द्वितीय शनिवर के विगत अवकाशों के दिन विभिन्न न्याय क्षेत्रों में नियत प्रकरणों का विवरण संलग्न है।

इसी संदर्भ में यह स्थिति भी विचारणीय है कि अवकाश के दिन नियत प्रकरण को कोर्ट स्टाफ द्वारा इस प्रकार ठीक किया जा रहा है जैसे कि प्रकरण अवकाश के दिन सूचीबद्ध हो और अवकाश के दिन ही कोर्ट प्रोसीडिंग हुई हो और उसी दिन आगामी दिनांक दी गई। साथ ही यह भी ध्यान में आया है कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी नहीं किया जाता है कि पत्रावली की दिनांक एवं CIS की दिनांक मे कोई भिन्नता नहीं है।

उपरोक्त विसंगतियों के निवारण हेतु निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया अपने न्याय क्षेत्र के नोडल ऑफिसर एवं सिस्टम ऑफिसर के माध्यम से नियमित निरीक्षण और अधीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी न्यायालय में अवकाश के दिन आयोजित होने वाली लोक अदालत या अन्य प्रयोजन के लिए विशिष्ट आदेश के बिना कोई भी प्रकरण रविवार या अन्य अवकाश के दिन CIS में सूचीबद्ध नहीं किया जावे।

CIS में रविवार या अवकाश के दिन पहले से नियत प्रकरणों की दिनांक को ठीक करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जावे–

1. यदि पत्रावली एवं CIS दोनों में ही रविवार या अवकाश की दिनांक नियत हो गई है तो CIS में एडमिन मीनू में उपलब्ध मोडीफाई विकल्प का प्रयोग कर आगामी कार्य दिवस की दिनांक अंकित की जावे। इसके लिए CIS में रविवार या अवकाश से तुरन्त पहले नियत दिनांक का चयन कर कोर्ट प्रोसीडिंग में उपलब्ध रिकॉल विकल्प का उपयोग भी किया जा सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में रविवार या अवकाश की दिनांक का चयन कर कोर्ट प्रोसीडिंग में आगामी दिनांक अंकित नहीं करें।

2. यदि CIS में रविवार या अवकाश की दिनांक अंकित है तथा पत्रावली में इस रविवार या अवकाश के बाद की कोई दिनांक नियत है तो CIS में एडमिन मीनू में उपलब्ध मोडीफाई विकल्प का प्रयोग कर सही दिनांक अंकित की जावे। इसके लिए CIS में रविवार या अवकाश से तुरन्त पहले नियत दिनांक का चयन कर कोर्ट प्रोसीडिंग में उपलब्ध रिकॉल विकल्प का उपयोग भी किया जा सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में रविवार या अवकाश की दिनांक का चयन कर कोर्ट प्रोसीडिंग में आगामी दिनांक अंकित नहीं करें।

3. यदि CIS में रविवार या अवकाश की दिनांक अंकित है तथा पत्रावली में इस रविवार या अवकाश के पहले की कोई दिनांक नियत है तो इसे ठीक करने के लिए CIS में रविवार या अवकाश से तुरन्त पहले नियत दिनांक का चयन कर कोर्ट प्रोसीडिंग में उपलब्ध रिकॉल विकल्प का उपयोग किया जावे परन्तु किसी भी स्थिति में रविवार या अवकाश की दिनांक का चयन कर कोर्ट प्रोसीडिंग में आगामी दिनांक अंकित नहीं करें।

इसी क्रम में यह भी अनुरोध है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि सभी न्यायालयों वाद सूची CIS उपलब्ध होने की स्थिति में CIS से ही तैयार की जावे एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिदिन यह चैक किया जावे कि CIS से तैयार की गई वाद सूची के अलावा अन्य प्रकरण नियत नहीं हैं। यदि CIS से तैयार शुदा वाद सूची के अलावा कुछ प्रकरण नियत हैं और वे यदि CIS में दर्ज नहीं है तो उन्हें तुरन्त CIS में दर्ज करने की कार्यवाही की जाये एवं यदि कोई प्रकरण CIS में तो दर्ज है लेकिन तारीख सही नहीं है तो उपरोक्तानुसार तारीख सही करने की कार्यवाही की जावे।

निर्देशानुसार पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली नियमित समीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें और हर स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो।

भवदीय

14.6.17

संलग्न–उपरोक्तानुसार

रजिस्ट्रार कम सेन्ट्रल प्रोजेक्ट कॉआर्डीनेटर
राजस्थान उच्च न्यायालय